शहादत ... 
श्रा० वा० बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते
बहस अंतिम दिनांक 8/9/21 को पेश हो।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

8/9/21 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय
दौरे/अवकाश/अन्यकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली
आयन्दा दिनांक 14.09.21 को पेश हो।

14.9.21 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय
दौरे/अवकाश/अन्यकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली
आयन्दा दिनांक 23/9/21 को पेश हो।

23/9/21 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०।
बहस अंतिम सुनी गई। वास्ते आदेश
दिनांक 4/10/21 को पेश हो।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

04/10/21 दिनांक 2/10/2021 एवं 3/10/2021 को राजपत्रित अवकाश
होने से आज पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय
प्रशासन गांवों के संग अभियान में व्यस्त होने से
आदेश नहीं लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते
आदेश दिनांक 06/10/2021 को पेश हो।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

06/10/21 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप०।
वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली ... ... होकर दर्ज
रजिस्टर से ... ... तहसील आरा
दाखिल दफ्तर हो। ... ... न्यायालय में
सुनाया गया।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:39 IST
Reason: SelfAttested

2

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू**
**पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)**

मुकदमा नम्बर :– 2020/00241 & 2021/913 दायर दिनांक–04–10–2010

दिनेश कुमार पुत्र स्व॰ श्री हीराराम जाति रैगर निवासी खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
– वादी

**बनाम**

1. सुरजाराम
2. बद्रीप्रसाद
3. बाबूलाल
} पुत्र स्व. श्री हीराराम जाति रैगर निवासी खिरोड तहसील नवलगढ।
4. मोहनी देवी
5. बनारसी देवी
} पुत्र स्व. श्री हीराराम जाति रैगर निवासी खिरोड तहसील नवलगढ।
6. बोदूराम पुत्र स्व. श्री भगवानी देवी पुत्री स्व. हरीराम जाति रैगर निवासी खिरोड तहसील नवलगढ।
7. रंगलाल पुत्र स्व. श्री भगवानी देवी पुत्री स्व. हीराराम जाति रैगर निवासी खिरोड तहसील नवलगढ।
8. घोटा देवी पुत्री स्व. श्री भगवानी देवी पुत्री स्व. हीराराम जाति रैगर निवासी खिरोड तहसील नवलगढ।
9. शिशराम पुत्र स्व. छोटी देवी पुत्री स्व. श्री हीराराम जाति रैगर निवासी खिरोड तहसील नवलगढ।
10. रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री छोटी देवी पुत्री स्व. श्री हीराराम जाति रैगर निवासी खिरोड तहसील नवलगढ।
11. कौशल्या पुत्री स्व. छोटी देवी पुत्री स्व. श्री हीराराम जाति रैगर निवासी खिरोड तहसील नवलगढ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू–अभिलेख) लैण्ड होल्डर तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–प्रतिवादीगण

**वकील वादी : – श्री महेश कुमार वर्मा**
**वकील प्रति॰ :– महेन्द्र कुमार सैनी।**

**दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती**

**–:: निर्णय ::–**

**दिनांक– 06–10–2021**

वाद–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम खिरोड की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1685 रकबा 0.0200 हैक्टर जो आगे वाद–पत्र में वादग्रस्त जमीन के नाम संबोधित किया गया है।

ग्राम खिरोड में हीराराम उर्फ हरिया नाम व्यक्ति पैदा हुआ जिसकी मृत्यू हो चुकी है दावे की धारा 1 में बताये जमीन का राजस्व रिकार्ड गलती से आज दिन तक हीराराम उर्फ हरिया के नाम से चला आ रहा है जबकि उक्त जमीन के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वादी एव प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 11 है जो उक्त जमीन को काश्त करते है उपयोग उपभोग करते है तथा लगान अदा करते है वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 11 हीराराम उर्फ हरिया के विधिक वारिसान है जिनका नाम गलत चले आ रहे राजस्व रिकार्ड में हीराराम उर्फ हरिया के स्थान पर दर्ज करवाने के लिए यह दावा पेश किया गया है।

दावे की धारा 1 में बताई जमीन का राजस्व रिकार्ड गलती से हीराराम उर्फ हरिया के नाम से चला आ रहा है जिसका नामान्तकरण आज दिन तक नही भरा गया है जबकि हीराराम उर्फ हरिया के वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 11 विधिक वारिसान है इसलिए जमीन खसरा नम्बर के गलत चले आ रहे राजस्व रिकार्ड के स्थान पर वादी एव प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 11 को नाम खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के लिए यह दावा बाबत घोषणा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:39 IST
Reason: SelfAttested

जमीन खसरा नम्बर 1685 रकबा 0.0200 हैक्टर वाके ग्राम खिरोड का राजस्व रिकार्ड गलती से मृतक हीराराम उर्फ हरिया के नाम से चला आ रहा है जिसके वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 11 वारिसान हे जिसके नाम से रिकार्ड से दुरूस्ती करवाने के लिए यह दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है।

ए. सी. डी. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

बिनाय मुखाय सम्मत दावा न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे तब पैदा हुआ तब वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 11 ने राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी की नकले ली तथा पटवारी हल्का के पास गये लेकिन पटवारी ने हीराराम उर्फ हरिया की मृत्यू काफी अर्से से पूर्व होने के कारण नामान्तकरण भरने से मना कर दिया, के रोज पैदा हुआ अलबता इस तरह के दावे में वादाधिकार हरवक्त हरफल पैदा होते रहते है।

वादी द्वारा वाद–पत्र मे अनुतोष चाहा है कि जमीन खसरा नम्बर 1685 रकबा 0.0200 हैक्टर वाके ग्राम खिरोड़ के वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 11 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी आशय की घोषणा करके राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करके हरिया का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाकर उसके स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 11 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। अन्य सिद्धी जो चाही जाने से रह गई हो तथा वादीगण के हक में पड़ती हो तो वही भी दिलवाई जावे।

वादी का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 11 की ओर से वकील श्री महेन्द्र कुमार सैनी उपस्थित हो अपना वकालत नामा पेश किया तथा साथ ही प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 11 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी नम्बर 12 की तलबी सम्यक रूप से होने के पश्चात भी इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही में अमल मे लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण नम्बर 01 लगायत 11 की ओर इकबालिया जवाब दावा व वाद पत्र को स्वीकार करने तथा प्रतिवादी नम्बर 12 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने पर तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही रह जाती है तथा विवाद्यको पर निर्णय किये जाने की आवश्कता नही है।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में वादी दिनेश कुमार पुत्र श्री हीराराम जाति रैगर निवासी खिरोड उपस्थित हो अपना मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किया। तथा अपने वाद–पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 प्रदर्शित करवाई गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोरहराया। बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम खिरोड की जमाबंदी सम्वत 2075–2078 जो प्रदर्श–1 है, जिमसें खातेदारी हरिया पुत्र मोती हिस्सा पूर्ण जाति रैगर साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम खिरोड में हीराराम उर्फ हरिया नाम व्यक्ति पैदा हुआ जिसकी मृत्यू हो चुकी है। वादग्रस्त भूमि का रिकार्ड हीराराम उर्फ हरिया के नाम से चला आ रहा है जबकि उक्त जमीन के हीराराम उर्फ हरिया के फौत होने से विधिक वारिसान जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। हीराराम उर्फ हरिया के वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 11 विधिक वारिसान है, इसलिए जमीन खसरा नम्बर 1685 के गलत राजस्व रिकार्ड के स्थान पर वादी एव प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 11 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

**:: आदेश ::**

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1685 रकबा 0.0200 हैक्टर भूमि में दर्ज खातेदारी हीराराम उर्फ हरिया का नाम हजफ किया जाता है तथा इनके स्थान पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि [illegible] राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **06.10.2021** को [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:39 IST
Reason: Self Attested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़
( दमयंती कंवर )
**सहाकय कलक्टर एवं कार्यपालक**
**मजिस्ट्रेट, (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ**

४

( ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी )

**अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़**
**पीठासीन अधिकारी – दमयंती कंवर**
**(आर.ए.एस.)**

**दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती**

**मुकदमा सं0:– 07 / 2021**
**जी.सी.एम.एस. नं. 2021 / 762** **( दिनेश कुमार बनाम सुरजाराम आदि )**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 06.10.2021 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1685 रकबा 0.0200 हैक्टर भूमि में दर्ज खातेदारी हीराराम उर्फ हरिया का नाम हजफ किया जाता है तथा इनके स्थान पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

जिन............–............. मुबलिग............–.............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–..........का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.10.2021 को जारी की गई।

( दमयंती कंवर )
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:39 IST
Reason: SelfAttested